-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.02.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बिसंडा क्षेत्र के चुहका पुरवा में वर्ष 2019 में अपनी पत्नी व बेटे की धारदार हथियार से हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय से आजीवन कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।**

विवरण- ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अपराधों में अभियुक्तों को प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम में आज दिनांक 23.02.2024 को हत्या के अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावस की सजा से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि अभियुक्त राममूरत पुत्र टिरुआ रैदास नि0 चुहका पुरवा मजरा ओरन थाना बिसंडा द्वारा दिनांक 02.02.2019 को अपनी पत्नी मीरा व 04 वर्षीय पुत्र बऊवा उर्फ अंकित पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था जिसमें बऊआ की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी जबकि मीरा की इलाज के दौरान 21.02.2019 को मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में थाना बिसंडा पर अभियोग मु0अ0सं0 22/19 धारा 302/326 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना निरी0 श्री मधुसूदन शुक्ला द्वारा की जा रही थी। विवेचक द्वारा गहनता से विवेचना करते हुए दिनांक 29.11.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। लोक अभियोजक श्री शिवकुमार की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर कां0 योगेन्द्र सिंह व पैरोकार अनूप सचान का अथक प्रयासों से अभियुक्त राममूरत पुत्र टिरुवा को मा0 न्यायालय स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट बांदा द्वारा आजीवन कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. राममूरत पुत्र टिरुवा नि0 चुहका पुरवा थाना बिसंडा जनपद बांदा

अभियोग-

- मु0अ0सं0 22/19 धारा 302/326 भादवि थाना बिसंडा जनपद बांदा